|| न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ||

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं० 1/100 तारीख रज्जू 31.08.2016

01– मुग्गो देवी पत्नी देवपाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील बसवा जिला दौसा **–वादनी**

बनाम

01– बर्फी पत्नी स्व० रोहिताश पुत्रवधू स्व० भगवान

02– रामोतार पुत्र स्व० भगवान

03– मान पुत्र स्व० भगवान

04– फूलसिंह पुत्र स्व० भगवान

05– हुकम पुत्र स्व० भगवान

06– प्रेम पुत्री स्व० भगवान

07– सन्तोष उर्फ सन्तो पुत्री स्व० भगवान निवासीयान नैथला तहसील मालाखेडा जिला अलवर

08– कल्याण पुत्र गोपाल

09– किशन पुत्र गोपाल निवासियान नैथला तहसील मालाखेडा जिला अलवर

10– तोफली पत्नी मन्नू

11– सुरेश पुत्र मन्नू

12– महेश पुत्र मन्नू

13– नरेश पुत्र मन्नू

14– दिनेश पुत्र मन्नू

15– फूलवती पुत्री मन्नू

16– अनिता पुत्री मन्नू निवासियान नैथला तहसील मालाखेडा जिला अलवर

17– रामनिवास पुत्र मूला

18– बाबूलाल पुत्र मूला

19– बनारसी पुत्री मूला

20– गिन्दो पुत्री मूला

21– पुष्पा पुत्री मूला

22– सन्तोष उर्फ सरिता पुत्री मूला निवासियान ग्राम नैथला तहसील मालाखेडा जिला अलवर –असल प्रतिवादीगण

23– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मालाखेडा लैण्ड होल्डर –तकमीली प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– **दिनांकः 02.07.2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 53, 188 के अन्तर्गत पेश किया है। दावे में कथन किया है कि वाके ग्राम नैथला तहसील मालाखेडा के हाल आराजी खसरा नम्बर 302 रकबा 0.38 है०, 303 रकबा 0.58 है०, 304 रकबा 0.36 है०, 307 रकबा 0.55 है०, 308 रकबा 0.58 है०, 309 रकबा 0.50 है०, 310 रकबा 0.58 है०, 311 रकबा 0.95 है०, 312 रकबा 1.32 है०, 319 रकबा 0.42 है०, 321 रकबा 0.52 है०, 330 रकबा 0.35 है०, 332 रकबा 0.63 है०, किता 13 रकबा 7.71 है० वाके ग्राम नैथला तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वादग्रस्त आराजी है। उक्त आराजी में वादनी 1/4 भाग की व भगवान, कल्याण पुत्रान गोपाल का 1/20 व प्रतिवादी संख्या–9 1/8 भाग के व प्रतिवादी संख्या 10 लगा० 16 1/8 भाग के व प्रतिवादी संख्या 17 लगा० 22 1/4 भाग के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। भगवान पुत्र गोपाल का स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारिसान रोहिताश व असल प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 7 है। रोहिताश भी फौत हो चुका है। जिसके वारिस असल प्रतिवादी संख्या–1 बर्फी देवी है। मृतक भगवान पुत्र गोपाल का अभी विरासत का

सहायक कलक्टर

इंतकाल नही खुला है। उसके वारिसान उसके हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर वादनी एवं असल प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 22 संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का बटवारा नही हुआ है। वगत कुछ समय से असल प्रतिवादीगण वादनी को काश्त करने नही दे रहे है। वादनी को बेदखल कर उसके हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश में लगे है व उक्त आराजी को बेचान के लिए ग्राहको को दिखा रहे है। मना करने पर झगडा करने को उतारू हो जाते है। कई बार रिश्तेदारो को इक्टठा करके समझाईस की परन्तु वादनी द्वारा असल प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 22 को उक्त आराजी का बटवारा कराने के लिए कहा तो वा टाल बाल करते रहे ओर दिनांक 30.08.2016 को उक्त आराजी को तकसीम कराने से इन्कार कर दिया ओर बेदखल करने की धमकी दी। इस प्रकार असल प्रतिवादीगण वादनी को उसके हिस्से की आराजी नही दे रहे है। इस कारण वादनी वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की आराजी अच्छी में से अच्छी ओर बुरी में से बुरी का तकासमा कराकर कब्जा प्राप्त करने, खाता अलग कराने व लगान कायम कराने की अधिकारी है। इस कारण यह वाद न्यायालय श्रीमान में पेश करना लाजीम आया है। यदि असल प्रतिवादी अपने नापाक इरादा में सफल हो गये तो वादनी को नापूर्ति होने वाली क्षति व झगडा फसाद व खुन खराबा का अन्देशा होगा। आर्थिक क्षति होगी। इसलिए प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता न्यायोचित है। प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा है। इसलिए तकासमा किया जाना आवश्यक है। वादनी ने हाल आराजी खसरा नम्बर 302 रकबा 0.38 है०, 303 रकबा 0.58 है०, 304 रकबा 0.35 है०, 307 रकबा 0.55 है०, 308 रकबा 0.58 है०, 309 रकबा 0.50 है०, 310 रकबा 0.58 है०, 311 रकबा 0.95 है०, 312 रकबा 1.32 है०, 319 रकबा 0.42 है०, 321 रकबा 0.52 है०, 330 रकबा 0.35 है०, 332 रकबा 0.63 है०, किता 13 रकबा 7.71 है० वाके ग्राम नैथला तहसील मालाखेडा जिला अलवर में से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी पर कब्जा दिलाया जावे एवं अलग खाताबन्दी की जावे व लगान कायम किया जावे। वादनी के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे की वो वादनी के कब्जे

काश्त में रूकावट व मजाहमत ना करे तकसीम किये बिना किसी को बेचान ना करे एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। दिनांक 05.03.2018 को न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री वादग्रस्त आराजी के बाबत पारित निर्णय में तहसीलदार मालाखेडा को तहरीर जारी कर, दोनों पक्षो की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी मौका एवं रिकार्ड एवं रास्ते का प्रावधान करते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार मालाखेडा ने अपने पत्रांक भू.अ./18/14 दिनांक 23.05.2018 से निम्नानुसार कुर्रे तैयार कर भिजवाये गये है।

01– वादनी का प्रस्तावित विभाजन : मुग्गो देवी पत्नी देवपाल जाति मीणा साकिन जयसिंहपुरा तहसील बसवा जिला दौसा खातेदार राहिन एसबीबीजे मालाखेडा मु.वि.क. खसरा नम्बर 304/1 रकबा 0.19 है०, 312 रकबा 1.32 है०, 319 रकबा 0.42 है० किता 3 रकबा 1.93 है० (प्रस्तावित नक्शे में हरे रंग से अंकित किये है) वादनी का रास्ता पूर्व से ही खसरा नम्बर 317, 318 स्वयं की खातेदारी उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 319, 312 से लगती हुई है।

02– प्रतिवादीगण का प्रस्तावित विभाजन : रामौतार, हनुमान, हरिराम, पिसरान भगवान 1/4 हिस्सा, प्रेम सरिता पुत्रीयान भगवान 1/21 हिस्सा, प्रदीप राहुल पिसरान रोहिताश्व 1/42 हिस्सा, सुनीता पत्नी स्व० फूलसिंह, अंकित, शिवम पि० फूलसिंह (नाबालिग) सरपरस्त माता स्वयं समान भाग हिस्सा 1/42, कल्यान पुत्र गोपाल 1/6 हिस्सा (राहिन बी.आर.के.जी.बी हल्दीना हिस्सा 2/15 बिला रहन हिस्सा 1/30) किशन पुत्र गोपाल हि० 1/6, तौफली पत्नी स्व० मन्नू हि० 1/42, सुरेश पुत्र मन्नू हिस्सा 1/28, महेश पुत्र मन्नू राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिं० बाल भारती स्कूल अलवर हिस्सा 1/28, दिनेश पुत्र मन्नू राहिन पीएनबी राजगढ हिस्सा 1/28 नरेश पुत्र मन्नू राहिन पीएनबी राजगढ हिस्सा 1/28, रामनिवास पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/24, बाबूलाल पुत्र मूलाराम राहिन आईडीबीआई लि० अलवर हिस्सा 1/24, बनारसी, गिन्दो, पुष्पा, सन्तरा पुत्रीयान मूलाराम हिस्सा 1/6 जाति मीणा साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 302 रकबा 0.38 है०, 303 रकबा 0.58 है० 304 रकबा 0.16 है० 307

सहायक कलक्टर

रकबा 0.55 है०, 308 रकबा 0.58 है०, 309 रकबा 0.50 है०, 310 रकबा 0.58 है०, 311 रकबा 0.95 है०, 321 रकबा 0.52 है०, 330 रकबा 0.35 है०, 332 रकबा 0.63 किता 11 रकबा 5.78 है० प्रस्तावित नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया हैं। प्रतिवादियों के आराजी खसरा नम्बरान पूर्व से ही रास्तो से जुडे हुए है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तीन–तीन प्रतियों में कुर्रेजात जमाबन्दी, नक्शा पेश किये है। मौके पर उपस्थित हाजिर काश्तकारों के हस्ताक्षर कराये।

वकील वादनी को तहसीलदार द्वारा पेश की गई कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुना गया। वादनी वकील ने मुताबिक कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही आया ओर ना ही किसी प्रकार का कोई एतराज प्रतिवादीगण की ओर से किया गया है।

वादनी मुग्गो देवी पत्नी देवपाल जाति मीणा साकिन जयसिंहपुरा तहसील बसवा जिला दौसा का वाद बाबत तकसीम आराजी खातेदार राहिन एसबीबीजे मालाखेडा मु.वि.क. खसरा नम्बर 304/1 रकबा 0.19 है०, 312 रकबा 1.32 है०, 319 रकबा 0.42 है० किता 3 रकबा 1.93 है० (प्रस्तावित नक्शे में हरे रंग से अंकित किये है) का निर्णय कर डिक्री किया जाता है कि वादनी का अलग से खाता कायम किया जावे एवं लगान कायम किया जावे एवं नक्शा हाल में वादनी के हिस्से अनुसार खसरा नम्बरान में तरमीम की जावे। रास्ता पूर्व से ही खसरा नम्बर 317, 318 स्वयं की खातेदारी उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 319, 312 से लगती हुई है। तहसीलदार मालाखेडा को आदेश दिये जाते है कि निर्णय अनुसार जमाबन्दी व नक्शे में अमल दरामद करे। तद्‌नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्‌तर हो।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

पीठासीन अधिकारी: देवेन्द्र सिंह परमार RAS

उनवान

मुग्गो देवी बनाम बर्फी वगै०

मुकदमा नम्बर :– 1/100 तारीख रज्जू 31.08.2016

मुकदमा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 02.07.2019

वादीन की ओर से चन्द्रभान शर्मा एड० की व प्रतिवादी की ओर से X की उपस्थिति में वाद में आज तारीख 02.07.2019 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेशित किया जाता है कि वादनी मुग्गो देवी पत्नी देवपाल जाति मीणा साकिन जयसिंहपुरा तहसील बसवा जिला दौसा का वाद बाबत तकसीम आराजी खातेदार राहिन एसबीबीजे मालाखेडा मु.वि.क. खसरा नम्बर 304/1 रकबा 0.19 है०, 312 रकबा 1.32 है०, 319 रकबा 0.42 है० किता 3 रकबा 1.93 है० (प्रस्तावित नक्शे में हरे रंग से अंकित किये है) का निर्णय कर डिक्री किया जाता है कि वादनी का अलग से खाता कायम किया जावे एवं लगान कायम किया जावे एवं नक्शा हाल में वादनी के हिस्से अनुसार खसरा नम्बरान में तरमीम की जावे। रास्ता पूर्व से ही खसरा नम्बर 317, 318 स्वयं की खातेदारी उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 319, 312 से लगती हुई है। तहसीलदार मालाखेडा को आदेश दिये जाते है कि निर्णय अनुसार जमाबन्दी व नक्शे में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर, अलवर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया